माननीय न्यायमूर्ति अजय तिवारी के समक्ष,

सुरेंद्र और अन्य - अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य - प्रतिवादी

2003 का सीआरए-नंबर **1305-**एसबी

5 फ़रवरी **2015**

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 304बी, 306, 498ए—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872— धारा 113ए, 113बी-दहेज हत्या-शिकायतकर्ता की बेटी की शादी अपीलकर्ता-1 से 3 साल पहले हुई थी-शिकायतकर्ता ने शिकायत की कि अपीलार्थी-1 ने अपने भाइयों अपीलार्थी संख्या 2 और 3 के साथ मिलकर दहेज के लिए उसकी बेटी को मार डाला-एक जिसने शिकायतकर्ता को हत्या के बारे में सूचित किया था, वह बदल गया शत्रुतापूर्ण - ट्रायल कोर्ट ने दहेज हत्या के लिए सभी 3 अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया - माना गया कि शिकायतकर्ता की पत्नी के गंजे बयान को छोड़कर इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि मृतक की मृत्यु से ठीक पहले दहेज की कोई मांग की गई थी कि अपीलकर्ता अपनी मृत बेटी को परेशान करते थे। - इसके अलावा, यह उल्लेख नहीं किया गया था कि यह उत्पीड़न कब हुआ था - इस प्रकार, कोई दहेज हत्या नहीं थी - पति की सजा को आईपीसी की धारा 306 के तहत सजा में बदला जाना था और इस प्रकार, सजा को घटाकर 5 साल किया जाना था ₹1000 के जुर्माने के साथ कठोर कारावास - ऐसे मामलों में आम तौर पर पति के परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने का प्रयास किया जाता है - इसे देखते हुए, पति के भाइयों को बरी कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि मृतिका से उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की कोई मांग की गई थी। वास्तव में, पीडब्लू 3 के इस बेतुके बयान के अलावा कि उनकी बेटी को दहेज के लिए मार दिया गया था और पीडब्लू 2 के इस बेदाग बयान के अलावा कि अपीलकर्ता दहेज की मांग के कारण मृतिका को परेशान करते थे, इस बात का कोई समय उल्लेख नहीं है कि यह कब हुआ उत्पीड़न हुआ.

(पैरा 5)

इसके अलावा, यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता भी इस बात का कोई सबूत नहीं दे पाए हैं कि मृतक से 'मृत्यु से ठीक पहले' दहेज की मांग की गई थी।

(पैरा 6)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि कि इन परिस्थितियों में, इस निष्कर्ष का विरोध करना कठिन है कि वर्तमान मामला उद्धृत मामले के तथ्यों से ढका हुआ है।

(पैरा 7)

इसके अलावा, अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलकर्ता नंबर 1 और 3 के संबंध में, उनके खिलाफ आरोप पूरी तरह से अस्पष्ट हैं और यह अपीलकर्ता नंबर 2-पति के परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने का एक प्रयास प्रतीत होता है। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं संख्या 1 और 3 के लिए अपील की अनुमति दी जाती है और उन्हें आरोप से बरी किया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

(पैरा 8)

इसके अलावा, अपीलकर्ता नंबर 2 के संबंध में, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और उसकी सजा को धारा 306 आईपीसी के तहत गिरधारी लाल (सुप्रा) के मामले में बदल दिया जाता है और उसकी सजा को जुर्माने के साथ 5 साल तक कम कर दिया जाता है। ₹1000/- का जुर्माना और जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को 6 महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

(पैरा 9)

दीपिंदर सिंह, अपीलकर्ताओं के वकील।

आशीष यादव, अति. ए.जी., हरियाणा।

माननीय न्यायमूर्ति अजय तिवारी **(मौखिक)**

(1) यह अपील दिनांक 08.04.2003 के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 304-बी के तहत दोषी ठहराया गया है और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

(2) शिकायतकर्ता- पीडब्लू3 द्वारा एफआईआर में लगाए गए आरोप थे कि उसकी बेटी साधना की शादी अपीलकर्ता नंबर 2- राकेश से हुई थी और वह उसे पीटता था और उसे कोई पैसे नहीं देता था। शादी के लगभग 3 साल बाद, उन्हें रत्नेश नाम के व्यक्ति ने सूचित किया कि अपीलकर्ता नंबर 2 ने अपने दो बड़े

भाइयों-अपीलकर्ता नंबर 1 और 3 के साथ मिलकर उनकी बेटी की हत्या कर दी है। जब शिकायतकर्ता अपीलकर्ताओं के घर गया तो उसने देखा कि उसकी बेटी का जला हुआ शव वहां पड़ा हुआ था और माचिस की डिब्बी और मिट्टी के तेल की एक कैन भी वहीं थी। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में कहा कि अपीलकर्ताओं ने दहेज के कारण उसकी बेटी की हत्या कर दी है। उनकी पत्नी पीडब्लू2 का भी यही बयान था। अन्य गवाहों की गवाही पर चर्चा की जरूरत नहीं है। हालाँकि, यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि गवाह रत्नेश (जिसने शिकायतकर्ता को सूचित किया था) अपने बयान से मुकर गया। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ट्रायल कोर्ट ने तीनों अपीलकर्ताओं को धारा 304-बी के तहत दोषी ठहराया। इसलिए, वर्तमान अपील।

(3) अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाया गया सटीक तर्क यह है कि अभियोजन पक्ष ने इस आशय का कोई सबूत नहीं दिया कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले मृतिका से दहेज की मांग की गई थी। उन्होंने राजस्थान राज्य बनाम गिरधारी लाल(2013(4) आर.सी.आर. (आपराधिक) 692) के मामले में दिए फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्यवस्था दी थी:-

“10. जहां तक उत्पीड़न और क्रूरता का सवाल है, राजेंद्र प्रसाद (पीडब्लू.8) ने कहा कि गिरधारी लाल दहेज के लिए उसे पीटते थे। जुगल किशोर (पीडब्लू.1) ने भी इस तथ्य का समर्थन किया है कि दहेज की मांग के संबंध में उसके साथ क्रूरता की जा रही थी, यह कहते हुए कि गिरधारी लाल बबीता को उसकी शादी के बाद दहेज के लिए पीटता और परेशान करता था। एक बार उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला। उन्होंने यह भी कहा कि गिरधारी लाल ने पहले उसे एक कमरे में बंद करके मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की और जब उसे इस घटना के बारे में पता चला, तो वह श्याम लाल, फूल चंद, राजेंद्र, जगदीश के साथ उसके ससुराल गया। , नेकी राम और मन रूप जहां गिरधारी लाल और उसके पिता ने उसे जिंदा जलाने के अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि वे इस घटना को नहीं दोहराएंगे। मृतक की मां बिमला देवी (पीडब्लू.7) ने अपने बयान में कहा कि आरोपी गिरधारी लाल और बबीता घटना से एक महीने पहले अपने गांव छावसरी आए थे और एक घंटे तक वहां रुके थे। उस समय जुगल किशोर घर पर मौजूद नहीं था और बबीता ने अपनी मां से कहा कि वह उसके पिता को उसके ससुराल भेज दे क्योंकि गिरधारी लाल उसे परेशान करता था। इस बयान से साफ पता चलता है कि मौत से ठीक पहले बबीता के साथ क्रूरता और उत्पीड़न किया जा रहा था.

11. अब सवाल यह उठता है कि क्या बबीता को उसके पति ने उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के सिलसिले में ऐसी क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया था। जो अवधि "जल्द ही पहले" के अंतर्गत आ सकती है उसे समय सीमा के चार कोनों में नहीं रखा जा सकता है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इसका निर्धारण न्यायालय पर छोड़ दिया गया है।

वर्तमान मामले में, जुगल किशोर (पीडब्लू.1) और बिमला देवी (पीडब्लू.7) ने दहेज की मांग के संबंध में अशुभ बयान दिया है कि शादी के बाद दहेज की मांग की जाती है।यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि गिरधारी लाल ने दहेज की माँग की थी या नहीं।

12. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113 बी जो दहेज हत्या की धारणा से संबंधित है, इस प्रकार है:

धारा 113बी. दहेज हत्या के बारे में उपधारणा.- जब सवाल यह हो कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की है और यह दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उस महिला के साथ ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न किया गया है, दहेज की किसी भी मांग पर न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज हत्या की है।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "दहेज मृत्यु" का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304-बी में है।

वर्तमान मामले में इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि अपनी मृत्यु से ठीक पहले, बबीता को दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके पति गिरधारी लाल द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। ऐसे घटक के अभाव में यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि गिरधारी लाल ने दहेज हत्या का कारण बना। इस प्रकार अभियोजन पक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113बी का लाभ नहीं उठा सकता।

13. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ए एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने की धारणा से संबंधित है जो इस प्रकार है:

113ए. एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के बारे में धारणा - जब सवाल यह है कि क्या एक महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने उकसाया था और यह दिखाया गया है कि उसने सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी उसकी शादी की तारीख से वर्षों बाद और उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार ने उसके साथ क्रूरता की थी, अदालत मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मान सकती है कि ऐसी आत्महत्या को उसके पति या उसके पति ने उकसाया था। उसके पति का ऐसा रिश्तेदार.

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता" का वही अर्थ होगा जो भारतीय पैनल कोड (1860 का 45) की धारा 498ए में है।

मौजूदा मामले में, प्रत्यक्ष और दस्तावेजी सबूतों से यह स्थापित होता है कि बबीता के साथ क्रूरता और उत्पीड़न किया गया था। क्रूरता और उत्पीड़न के ऐसे व्यवहार के परिणामस्वरूप उसे आत्मघाती मौत के लिए

मजबूर होना पड़ा। उसने अपनी शादी के 7 साल के भीतर आत्महत्या कर ली थी और उसके पति ने उसके साथ क्रूरता की थी। इसलिए, अपीलीय अदालत ने मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सही माना कि इस तरह की आत्महत्या के लिए उसके पति गिरधारी लाल ने उकसाया था और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। इसलिए, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

(4) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, वर्तमान मामला उद्धृत मामले के समान ही स्थित है।

(5) विद्वान वकील के सहायक के साथ, मैंने पीडब्लू2 और पीडब्लू3 की गवाही देखी है और मैंने पाया है कि इसमें कोई उल्लेख नहीं है कि मृतक की मृत्यु से ठीक पहले दहेज की कोई मांग की गई थी। वास्तव में, पीडब्लू 3 के इस बेतुके बयान के अलावा कि उनकी बेटी को दहेज के लिए मार दिया गया था और पीडब्लू 2 के इस बेदाग बयान के अलावा कि अपीलकर्ता दहेज की मांग के कारण मृतिका को परेशान करते थे, इस बात का कोई समय उल्लेख नहीं है कि यह कब हुआ उत्पीड़न हुआ.

(6) विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता भी इस बात का कोई सबूत नहीं दे पाए हैं कि मृतिका से 'मृत्यु से ठीक पहले' दहेज की मांग की गई थी।

(7) इन परिस्थितियों में, इस निष्कर्ष का विरोध करना कठिन है कि वर्तमान मामला उद्धृत मामले के तथ्यों से ढका हुआ है।

(8) जहां तक अपीलकर्ता नंबर 1 और 3 का संबंध है, उनके खिलाफ आरोप पूरी तरह से अस्पष्ट हैं और यह अपीलकर्ता नंबर 2-पति के परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने का प्रयास प्रतीत होता है। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं संख्या 1 और 3 के लिए अपील की अनुमति दी जाती है और उन्हें आरोप से बरी किया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

(9) जहां तक अपीलकर्ता नंबर 2 का संबंध है, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और उसकी सजा को धारा 306 आईपीसी के तहत गिरधारी लाल (सुप्रा) के मामले में बदल दिया जाता है और उसकी सजा भी घटाकर 5 साल कर दी जाती है। ₹1000/- के जुर्माने के साथ और जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को 6 महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(10) चूंकि मुख्य मामले का फैसला हो चुका है, लंबित आपराधिक विविध आवेदन, यदि कोई हो, भी निपटाया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह

अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्या न्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश जिंदल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम, हरियाणा